



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत चोरी के माल के निस्तारण के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को कुल 02 माह का सश्रम कारावास व कुल 5,000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-236/2014 धारा 413/414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त विजय शुक्ला पुत्र स्व. बट्टी प्रसाद शुक्ला निवासी – बी-1/84, डी-1 अस्सी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-29.05.2025 को माननीय न्यायालय A.D.G.C.(Criminal) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 413 भा0द0वि0 में 02 माह के कठोर कारावास तथा 3,000/- रु0 के अर्थदण्ड एवं अन्तर्गत धारा 414 भा0द0वि0 में 01 माह के कठोर कारावास एवं 2000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।